भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2649
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2019

प्रशुल्क का प्रवर्तन

2649. श्री हंस राज हंसः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निःशुल्क सेवा के नाम पर ग्राहकों से बाद में वसूले जाने वाले अनसोलिसिटेड डाटा पैकेज और वॉयस सर्विस हेतु प्रवर्तन प्रशुल्क का मुद्दा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के संज्ञान में आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर ट्राई द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या ट्राई इस बात से अवगत है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) बैक एंड में ग्राहकों का प्रशुल्क प्लान बिना उनकी मंजूरी के अनियंत्रित रूप से बदल रहे हैं जिससे अत्यधिक बिल वसूला जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर ट्राई की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) टीएसपी के उक्त कृत्यों की निगरानी और रोकथाम के लिए ट्राई द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के संज्ञान में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा निःशुल्क सेवा के नाम पर ग्राहकों से बाद में वसूले जाने वाले अनसोलिसिटेड डाटा पैकेज और वॉयस सर्विस हेतु प्रशुल्क का मुद्दा नहीं आया है।

(ख) ट्राई द्वारा जारी किए गए दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में अधिदेश दिया गया है कि किसी सेवा प्रदाता द्वारा किसी उपभोक्ता को एक बार प्रदान किया जाने वाला टैरिफ प्लान उपभोक्ता द्वारा टैरिफ प्लान लिए जाने की तिथि से कम से कम छह महीने की अवधि तक वैध रहेगा। दूरसंचार टैरिफ आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ता को उक्त छह महीने की अवधि के दौरान भी किसी अन्य टैरिफ प्लान का चयन करने की छूट होगी।

(ग) ट्राई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मौजूदा विनियामक प्रावधानों का अनुपालन किए जाने से संबंधित कार्यवाही पर निरंतर निगरानी रखता है और जब भी आवश्यकता होती है, इसमें हस्तक्षेप करता है।

*****